पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

1995 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 402

वर्ष 1989 के थाना कांड संख्या 74 से उत्पन्न, थाना-बक्सर, जिला- भोजपुर

==========

1. श्री भगवान चौधरी उर्फ पलटू चौधरी।
2. श्री नारायण चौधरी उर्फ मंगारू चौधरी।
3. मितलाल चौधरी।

मोहगु चौधरी के सभी पुत्र।

गाँव-राम सागर, थाना- बरहरा, जिला-भोजपुर के निवासी।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियमः

- आई. पी. सी.-धारा 149,302

संदर्भित मामलेः

- देव कन्या तिवारी बनाम उ.प्र. राज्य ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 1377 में सूचित यू. पी. राज्य

अपील-सत्र विचारण में विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 149 के तहत अपराध का आरोप लगया गया था और उन्हें दोषी ठहराया गया था।

आरोपी और मृतक एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे और ताड़ी बेचने में लगे हुए थे।

आयोजित-अंतिम देखे गए सिद्धांत के बिंदु पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। - अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के साक्ष्य एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। - ऐसा लगता है कि मामला मृतक की पत्नी द्वारा उठाए गए संदेह पर दर्ज किया गया है। (पैरा 13)

न तो मृतक को अपीलार्थियों के साथ अंतिम बार देखा गया और न ही अन्य मानदंड परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सराहना या मूल्यांकन करते समय संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है। इस मामले में मौजूद है। (पैरा 15)

अपील की अनुमति दी गई। (पैरा 16)

पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

1995 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 402

वर्ष 1989 के थाना कांड संख्या 74 से उत्पन्न, थाना-बक्सर, जिला- भोजपुर

==========

1. श्री भगवान चौधरी उर्फ पलटू चौधरी।
2. श्री नारायण चौधरी उर्फ मंगारू चौधरी।
3. मितलाल चौधरी।

मोहगु चौधरी के सभी पुत्र।

गाँव-राम सागर, थाना- बरहरा, जिला-भोजपुर के निवासी।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

बिहार राज्य

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : कुमारी शुभम, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए : सुश्री एस. बी. वर्मा, (सहायक लोक अभियोजक)

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

तिथिः- 15-05-2018

यह आपराधिक अपील 1990 के सत्र परीक्षण संख्या -378 (जिसे आगे विद्वत परीक्षण न्यायालय के रूप में संदर्भित किया गया) में विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, आरा भोजपुर द्वारा पारित दिनांक 29 नवंबर, 1995 के निर्णय को दरकिनार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए आरोपित किए गए सभी तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता 302/149 के तहत आरोप के लिए दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला 18.06.1989 को लगभग 3:00 ए.एम बजे बरहरा थाना में एक ददन चौधरी (पी. डब्ल्यू.-6) के फरदबेयान पर आधारित है। मुखबिर के अनुसार पिछली रात लगभग 10:00 बजे रात्रि को उसकी भवाह (छोटे भाई की पत्नी) ने उसे बताया कि उसका पति (दशरथ का पिता) लगभग आधा घंटा पहले इमली के पेड़ के पास ताड़ी लेकर गाँव के पूर्वी हिस्से में गया था। उसने उसे यह भी बताया कि गाँव रामशहर के दो लोग घर गए थे और दशरथ के पिता को इमली के पेड़ के पास गाँव के पूर्व की ओर ताड़ी के साथ आने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि तीन महिलाएँ वहाँ ताड़ी पीने के लिए बैठी थीं। उसे उन्हें ताड़ी परोसने और पैसे लेकर लौटने के लिए कहा गया। मुखबिर को उसके छोटे भाई की पत्नी ने आगे बताया कि कुछ समय बाद जब दशरथ नहीं लौटे तो उन्होंने अपने बेटे को दशरथ का पता लगाने के लिए भेजा। आरोप है कि जब दशरथ वापस आया तो उसने बताया कि इमली के पेड़ के पास श्री भगवान चौधरी उर्फ पलटू, श्रीनाथ चौधरी उर्फ लंगटू और मितलाल चौधरी, स्वर्गीय महंगू चौधरी के बेटे, गांव के सभी निवासी दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ रामसागर ताड़ी ले जा रहे थे, उन्होंने दशरथ से अपने लिए 'बीरी' लाने के लिए कहा। दशरथ जब बीड़ी लेने के बाद इमली के पेड़ पर गए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। दशरथ के लौटने और इन तथ्यों को सूचित करने के बाद, मुखबिर का भावाह अपने भाई अचयलाल चौधरी, सोहराई चौधरी और राजनंदन चौधरी के साथ दशरथ के

पिता की तलाश में आगे बढ़ा। जब वे इमली के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। आरोप है कि वे पडोसी गाँवों में दशरथ के पिता की तलाश में गए थे और जब वे गाँव रामशहर से अपने घर लौट रहे थे, तो गाँव के पूर्व की ओर 'बाड़' में उन्होंने अनंत चौधरी (मृत) को मृत पाया। उसका शव खून से लथपथ पड़ा था और उसकी गर्दन कटी हुई थी। आरोप है कि इसके बाद मुखबिर उसके गांव आया और चौकीदार जयराम पासवान और शिवनारायण पासवान को इसकी सूचना दी। बताया जाता है कि मुखबिर चौकीदार और उसके भाई सोहराई चौधरी के साथ पुलिस थाने आया था। घटना की उत्पत्ति जैसा कि आरोप लगाया गया है कि लगभग दो-तीन दिन पहले आरोपी व्यक्तियों का मृतक अनंत चौधरी के साथ ताड़ी के पेड़ को लेकर झगड़ा हुआ था और इस कारण से आरोपी व्यक्तियों ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। फरदबेयन और औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श-2 और प्रदर्श-4 साबित हुई हैं।

3. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने के लिए आठ गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू-1 मृतक की पत्नी मन्ना देवी है, जिसने कहा है कि जब अनंत चौधरी (मृतक) खाना खाकर सो रहा था, तो दो लोग दरवाजे पर आए और अनंत चौधरी को उसके नाम से पुकारा। गवाह से यह पूछने पर कि क्या वह ताड़ी रख रही थी, इस गवाह ने हां कहा और पैसे मांगे, इस पर उन्होंने इस गवाह से अपने पति को जगाने के लिए कहा। इस बीच, मृतक जाग गया, वहाँ आए लोगों ने उसे इमली का पेड़ के पास ताड़ी के साथ आने के लिए कहा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसे वहाँ से उसका पैसा मिल जाएगा। इसके बाद अनंत चौधरी (मृतक) ताड़ी के साथ वहाँ गए। कुछ समय बाद पीडब्लू-1 ने अपने बेटे दशरथ को भेजा लेकिन जब वह लौटा तो उसने उसे बताया कि इमली के पेड़ के पास श्री भगवान चौधरी उर्फ पलटू, श्रीनाथ चौधरी उर्फ लंगटू और मितलाल चौधरी दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ बैठे थे। उन्होंने दशरथ से बीरी लाने के लिए कहा था, लेकिन जब दशरथ नहीं

जा रहे थे तो उन्होंने उन्हें दौड़ने और बीरी लाने के लिए कहा। पीडब्लू-1 ने कथित तौर पर दशरथ को 8-9 बीड़ियां दीं लेकिन जब दशरथ बीड़ी के साथ वहां गए तो उन्हें इमली के पेड़ के पास कोई नहीं मिला। दशरथ ने पीडब्लू-1 को इसकी सूचना दी थी। उसने आरोप लगाया कि उसी से डरकर उसने अपने पति के बड़े भाई ददन चौधरी (मुखबिर) को जगाया। उन्होंने अपने तीन देवरों अचलाल चौधरी, सोहराई चौधरी और राजनंदन चौधरी को भी जगाया। इस गवाह ने कहा था कि जो लोग दरवाजे पर आए थे वे रामशहर गाँव के थे इसलिए वे अनंत चौधरी की तलाश में उक्त गाँव गए थे। उसने गाँव से लौटते समय अपने पति के शव की पहचान की थी। उसने आरोप लगाया कि श्री भगवान चौधरी उर्फ पलटू, श्रीनाथ चौधरी उर्फ लंगटू और मितलाल चौधरी का लगभग 5-6 दिन पहले उसके पति के साथ झगड़ा हुआ था और तीनों ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी जिरह में उसने कहा है कि आरोपी व्यक्ति अपने ही भाई हैं। गाँव में दो चौकीदार हैं जो सभी जाति से दुसाद हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनका पति और आरोपी का घर एक दूसरे के बगल में हैं। उसका घर पूर्वी तरफ स्थित है जबकि आरोपी का घर पश्चिमी तरफ स्थित है। इमली का पेड़ उनके घर से 200 गज पूर्व की दूरी पर स्थित है। उसने यह भी कहा है कि उसकी ताड़ी की दुकान और आरोपी व्यक्तियों की दुकान गुलाब चप्रा गांव के तरबाना में स्थित है और उनके पास इसके लिए लाइसेंस है। ताड़ी की दुकानें एक दूसरे के बगल में स्थित हैं। ताड़ी की बिक्री सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होती है।

4. अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि रामशहर गाँव एक कोश (लगभग दो किलोमीटर के बराबर) की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि दस मिनट के बाद ही उसने अपने बेटे को अपने पति को देखने के लिए भेजा था और उसका बेटा एक-दो मिनट के भीतर बीरी लेने के लिए वापस आ गया था और बीरी के साथ चला गया था। वह रोते हुए वापस आया और कहा कि इमली के पेड़ के पास कोई नहीं है। यह गवाह लालटेन लेकर इमली के पेड़ के पास गया था लेकिन उसे कोई कांच, कमल

या लबानी नहीं मिला था। उसने चौकीदार को अपने पति की तलाश में जाने के बारे में नहीं बताया था। उसे याद नहीं था कि उसने रामशहर गाँव में अपने पति के बारे में किससे पूछा था। वह एक रास्ता लेकर रामशहर गाँव गई थी और उक्त गाँव से बदर होते हुए दूसरे रास्ते से लौट रही थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि पेड़ को लेकर विवाद के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

5. पीडब्लू-2 दशरथ चौधरी है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है जिसने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। अपनी जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने दारोगा के सामने कहा था कि ताड़ी के लिए आए दो लोगों ने कहा था कि तीन महिलाएं इमली के पेड़ के पास बैठी हैं। उन्होंने दारोगा से यह भी कहा था कि जब वे इमली के पेड़ पर गए तो उन्हें वहां कोई महिला नहीं मिली। अपनी आगे की जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसके पिता ने दिन के समय लगभग 3 बजे खाना खाया था। उसने शाम और रात में खाना नहीं खाया था और रात 8 बजे सोने चला गया था। उन्होंने आगे कहा है कि रात के समय पेड़ के पास उन्होंने किसी को उनके चेहरे और आवाज से नहीं पहचाना था और इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। उसने अपनी माँ (पीडब्लू-1) के बयान का भी खंडन किया है और कहा है कि उसके पिता का आरोपी व्यक्तियों के साथ ताड़ी के पेड़ को लेकर कोई विवाद नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि आरोपी व्यक्तियों को मृतक की दुकान के अलावा एक ताड़ी की दुकान भी मिली है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतियोगिता के कारण आरोपी व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं। निचली अदालत ने दर्ज किया है कि यह गवाह केवल सभी प्रश्नों के लिए हां कह रहा है।

6. पीडब्लू-3 सोहराई चौधरी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कथित घटना से पहले उनके भाई (मृतक) का अज्ञात ग्राहकों के साथ झगड़ा हुआ था। पीडब्लू-3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और उसका प्रतिपरीक्षण किया गया है। अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि जांच के दौरान दारोगा द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं किया गया था,

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने दारोगा को बताया था कि टॉडी/ताडी को लेकर आरोपी व्यक्तियों के साथ उनका झगड़ा हुआ था। इस गवाह ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने दारोगा से कहा था कि इन दोनों व्यक्तियों ने दो अज्ञात व्यक्तियों की मदद से उसके भाई की हत्या की थी।

7. पीडब्लू-4 परमेश्वर पांडे है जिसने कहा है कि गाँव के पूर्वी हिस्से में एक मिल स्थित है और अभियोजन पक्ष द्वारा इमली का टेंडर दिया गया है। रंगनाथ चौधरी (पीडब्लू-5) एक औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने जाँच प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने अपने भाई सोहराई चौधरी के हस्ताक्षर और हस्ताक्षर को साबित कर दिया है जिसे क्रमशः अनुलग्नक-1 और 1/2 के रूप में चिह्नित किया गया है। मुखबिर (पीडब्लू-6) ने कहा है कि वह अपने भाई की तलाश में गया था और उसे अपने भाई अनंत चौधरी का शव मिला था। इसके बाद वह चौकीदार के साथ पुलिस थाने गया और दारोगा से मिला, जिसने उसका फरदबेयान दर्ज किया और उसके हस्ताक्षर लिए। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ-साथ सोहराई के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श 1 और 1/2 के रूप में साबित किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा है कि उन्हें इमली के पेड़ पर किसी भी विवाद की जानकारी नहीं थी। उनके पास किसी भी विवाद के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। पैराग्राफ 3 में उन्होंने कहा है कि मृतक की पत्नी ने आरोपी व्यक्तियों पर संदेह जताया था। किसी भी ग्रामीण ने इस गवाह को नहीं बताया था कि अनंत चौधरी टाडी को अभियुक्त व्यक्तियों के साथ इमली के पेड़ के पास ले जा रहा था। किसी ने मृतक को इमली के पेड़ पर जाते हुए देखने के बारे में नहीं बताया था। इस गवाह ने कहा है कि दोनों पक्ष टाडी को बेचने में शामिल हैं, आरोपी घटना में शामिल थे लेकिन अब शांति कायम है।

8. पी. डब्ल्यू. 7 वह डॉक्टर है जिसने शव परीक्षण किया है। उन्हें मृतक के शरीर पर चार घाव मिले हैं। पूरे शरीर पर मिट्टी के दाग थे, सभी घाव धारदार काटने वाले हथियार से हुए थे, जाँच और मृत्यु के बीच का समय 36 घंटे के भीतर था।

9. पी. डब्ल्यू. 8 जाँच अधिकारी है (संक्षेप में 'आई. ओ.')। उन्होंने प्राथमिकी को साबित किया है। (प्रदर्श-4)। वह घटना स्थल पर गया था और उसी के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि सोहराई चौधरी ने साबित कर दिया था कि पलटू, लंगटू और मितलाल चौधरी के साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने दिखाने की धमकी दी थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि जांच पूरी होने के दौरान उन्हें नन्हक नट और एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में नहीं पता चला। जाँच अधिकारी ने खून से लथपथ मिट्टी और पृथ्वी पर गिरने वाले खून के बारे में दर्ज नहीं किया था। जाँच अधिकारी को इमली के पेड़ के पास ताड़ी ले जाने का कोई संकेत नहीं मिला था। उन्होंने यह भी कहा है कि पी. डब्ल्यू. 1 मन्ना देवी ने नहीं बतायी थी कि दो लोगों ने उसे अपने पति को जगाने के लिए कहा था। उसने अपने पति को बताया था कि नन्हक नट आ गया है।

10. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषी ठहराया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को पेश करने में सक्षम था और दो अज्ञात नट की मदद से हत्या करने में अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध की ओर सभी बिंदुओं को अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेहों से परे विधिवत साबित किया गया था।

11. अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान मामले में विद्वत मुकदमा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना करने में बुरी तरह विफल रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये अपीलार्थी मृतक को बुलाने के लिए मुखबिर के दरवाजे पर आए थे। न तो प्राथमिकी में और न ही साक्ष्य के क्रम में सूचना देने वाले या किसी अन्य गवाह ने कहा है कि इन अपीलकर्ताओं को सूचना देने वाले के पति को बुलाते हुए देखा गया था। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता जो सूचना देने वाले के पड़ोसी हैं, उन्हें बाद में गलत तरीके से फंसाया गया क्योंकि उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी जो गाँव गुलाब चप्रा में ताड़ी बेचने के समान व्यवसाय में शामिल थे।

विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत निचली अदालत गलत निष्कर्ष पर पहुंची है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध की ओर इशारा करते हुए सामने आए हैं। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ये अपीलार्थी केवल संदेह के आधार पर इस मामले में शामिल थे। विद्वान वकील **देव कन्या तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर 2018 एस.सी 1377** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करते हैं। **हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1953 आपराधिक एल.जे.129** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय पर उनके लॉर्डशिप्स ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में अभियोजन पक्ष को सबूतों की श्रृंखला द्वारा साबित करना चाहिए कि वे पूर्ण और पूरी तरह से स्थापित हैं ताकि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप कोई उचित संदेह/आधार न छोड़ सकें।

12. दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने विद्वत निचली अदालत के फैसले का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अपीलार्थियों के अपराध को साबित करने में सक्षम रहा है।

13. अपीलार्थियों के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखने के बाद, हम पाते हैं कि न तो प्राथिमिकी अभियोजक गवाह-6 में और न ही साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 1, जो मृतक की पत्नी ने इन अपीलार्थियों की उपस्थिति के बारे में जब दो अज्ञात व्यक्ति सूचना देने वाले के पति को बुलाने के लिए उसके दरवाजे पर आने के बारे में कही है। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि ये अपीलकर्ता अभियोजन गवाह-1 के पति और मुखबिर के भाई को फोन करने आए थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा है कि किसी भी ग्रामीण ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने इन अपीलार्थियों को मृतक के साथ इमली के पेड़ के पास बैठे देखा था। किसी भी ग्रामीण ने इन अपीलार्थियों को मृतक के

साथ ताड़ी लेते नहीं देखा है। मृतक के बेटे पी. डब्ल्यू. 2 ने कहा है कि इमली के पेड़ के पास अंधेरा था और उन्होंने इन अपीलार्थियों की चेहरे से पहचान नहीं की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इमली के पेड़ के पास प्रकाश का कोई स्रोत नहीं था। मुखबिर (पी. डब्ल्यू. 6) ने स्वयं साक्ष्य के माध्यम से कहा है कि मृतक की पत्नी ने अपराध में इन अपीलार्थियों की संलिप्तता पर संदेह जताया था। अंतिम देखे गए सिद्धांत के बिंदु पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पी.डब्ल्यू-1, पी.डब्ल्यू-2 और पी.डब्ल्यू-6 के साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा लगता है कि मामला केवल पी.डब्ल्यू-1 द्वारा उठाए गए संदेह पर दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे और ताड़ी बेचने में लगे हुए थे।

14. देव कन्या तिवारी (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में दर्ज परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच करते हुए कहाः-

> *"10. किसी एक तरफ के विद्वान वकील को सुनते हुए, हमने अभिलेख पर सामग्री को सावधानीपूर्वक देखा है। जाहिरा तौर पर, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे मामले में अदालत से साक्ष्य का विश्लेषण करते समय और आरोपी को दोषी ठहराते समय अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। दूसरे शब्दों में, सभी संभावनाओं में, परिस्थितियों की श्रृंखला को इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि आरोपी ने अपराध करने में भाग लिया और अपराध किया। इस न्यायालय ने बहुत पहले हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1953 सी. आर. आई. एल. जे. 129 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मूल्यांकन का तरीका निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किया हैः*

"यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। "

15. हमारी सुविचारित राय में, न तो मृतक को अंतिम रूप से अपीलार्थियों के साथ देखा गया था और न ही अन्य मानदंड जो इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की सराहना या मूल्यांकन करते समय संतुष्ट होने की आवश्यकता है। हमारी राय में निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में गलती की है। इसलिए वर्तमान अपील में आक्षेपित निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया जाता है।

16. अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थियों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। उन्हें जमानत बांध पत्र के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायामूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।